प्रतियोगिता ▶ महाराजा यशवंतराव मेमोरियल अंतर संभागीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता

जबलपुर और इंदौर संभाग ने दर्ज की आसान जीत

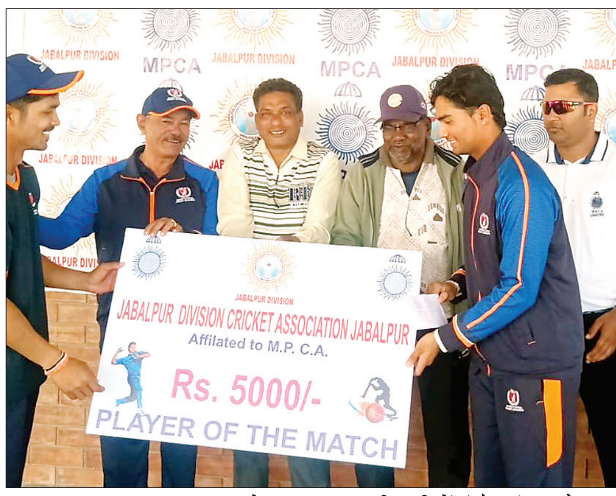

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित तथा जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ के तत्वावधान में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नीमखेड़ा में इंदौर संभाग ने चंबल संभाग को एक पारी और रनों से हराकर 7 अंक अर्जित किए।

तीसरे दिन चंबल संभाग ने 4 विकेट पर 80 रनों से आगे खेलते हुए पहली पारी में इंदौर संभाग के 752 रनो के जवाब में 186 रन बनाए। इंदौर संभाग ने पहली पारी में 566 रनों की बढ़त हासिल की तथा चंबल संभाग को फालोआन खेलने पर मजबूर किया। चंबल संभाग से युवराज जादोन 45, तावरिक खान नाबाद 28, सौरभ जाट 25 तथा सोमू सिकरवार ने 23 रनों की पारी खेली। इंदौर संभाग से चंद्रशेखर और लकी मिश्रा ने 3-3 तथा सारांश 2 एवं सचिन ने एक विकेट लिया। फालोआन खेलते हुए चंबल संभाग ने दूसरी पारी में मात्र 165 रन बनाएद्ध अक्षय शिंदे 64, स्पर्श 40, सुमित कुशवाहा 25 तथा सोमू सिकरवार ने 19 रनों की पारी खेली। इंदौर संभाग से आकाश राजावत ने 4, सारांश सुराना ने 3 व सचिन जागीर ने 2 विकेट लिये।

लकी व आयाम रहे मैन ऑफ द मैच

मैन ऑफ द मैच संयुक्त रूप से आयाम वर्मा और लकी मिश्रा रहे। जबलपुर सम्भागीय क्रिकेट संघ के सचिव सुशील रजक और अमरदीप सिंह पठानिया द्वारा मैन ऑफ द मैच की राशि दोनों खिलाड़ियों को प्रदान की गई। संचालन पवन सिंधिया द्वारा किया गया।

रितेश शाक्य ने चटकाए 6 विकेट

दूसरे मैच में जबलपुर संभाग ने रीवा संभाग को एक पारी और 141 रनों से हरा कर 7 अंक अर्जित किए। तीसरे दिन रीवा सम्भाग ने 4 विकेट पर 168 रनों से आगे खेलते हुए पहली पारी में जबलपुर संभाग के 567 रनों के जवाब में 259 रन बनाए, जिससे जबलपुर संभाग ने पहली पारी में 308 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर रीवा सम्भाग को फालोआन खेलने पर मजबूर किया। फालोआन खेलते हुए रीवा सम्भाग ने दूसरी पारी 167 रन पर सिमट गई। सागर प्रताप सिंह 58, अमरजीत सिंह 38 तथा रूद्राक्ष सिंग ने 29 रनों की पारी खेली। जबलपुर संभाग से रितेश शाक्य ने 6 विकेट लिए विकेट लिये। मैन ऑफ द मैच रितेश शाक्य को चुना गया।

गौतमी, तनीषा, आशय और सत्यार्थ ने जबलपुर को दिलाये 4 पदक

नवभारत, जबलपुर। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के अंतर्गत आयोजित 26 से 28 जनवरी तक निशानेबाज़ी प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में हुआ। जिसमें जबलपुर के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते। 10 मीटर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में तनीषा जायसवाल ने शानदार निशानेबाज़ी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 10 मीटर महिला एयर राइफल स्पर्धा में गौतमी भनोट ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आशय अग्रवाल ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि सत्यार्थ पटेल ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच रजत पदक जीतकर गौरव बढ़ाया। विदित हो की सभी शूटर्स गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं

संत अलॉयसियस महाविद्यालय में युवा संसद का मंचन

नवभारत, जबलपुर। संत अलायसियस महाविद्यालय जबलपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय जागरूकता, नेतृत्व कौशल और नागरिक जिम्मेदारी विकसित करने के उद्देश्य से गुरूवार को युवा संसद का मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुये मुख्य अथिति प्रो. विवेक मिश्र, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण एवं समाज विज्ञान संकाय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति युवाओं में निहित है और इस शक्ति का सही दिशा में प्रयोग किया जाय तो यह सर्जना के नए प्रतिमान गढ सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्था के प्राचार्य डॉ फादर जे. बेन एंटोन रोज़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र की सफलता में सशक्त एवं जागरूक युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, विधायी प्रक्रिया एवं संविधान के प्रति सम्मान का भाव जागृत करते हैं। युवा संसद मंचन का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन अवंतिका मिश्रा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य डॉ. कल्लोल दास, डॉ. नीलांजना पाठक, डॉ. मंजू मरिया सोलोमन, डॉ. विश्वास पटेल डॉ. रीता चौहान, डॉ. तुहिना जौहरी, यशिका चौधरी, तहरीम अंजुम की उपस्थिति रही।

कानूनी अधिकार के तहत आपराधिक शिकायत करना मानहानि नहीं

▶ हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय में चल रही कार्यवाही को किया निरस्त

नवभारत, जबलपुर। हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि कानूनी अधिकार के तहत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आपराधिक शिकायत करना अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि यह धारा 498 अपवाद 8 के सुरक्षा कवच के अंदर आता है। एकलपीठ ने भोपाल न्यायालय द्वारा मानहानि तहत धारा 500 के तहत प्रारंभ की गयी अपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आदेश जारी किये है।

भोपाल निवासी सैयद राशिद अली की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि शादी के बाद उसका पत्नी से झगडा हो गया था। पत्नी के शिकायत पर उसके खिलाफ धारा 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय ने उसे एक साल की सजा से दंडित किया था। जिसके खिलाफ उसने अपील दायर की थी और अपीलीय न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया था। दोषमुक्ति के खिलाफ अनावेदिका ने हाईकोर्ट के अपील की है, जो लंबित है।

शिकायतकर्ता अनावेदिका का कहना है कि धारा 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज करवाने के बाद आवेदक ने मुस्लिम कानून के तहत लिखित तलाक-ए-बैन दिया। इसके बाद आवेदन ने शिकायतकर्ता तलाकशुदा पत्नी तथा उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धारा खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 477, 494 और 149 के तहत अपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2023 को उसकी तलाकशुदा पत्नी व अन्य को दोषमुक्त कर दिया था।

तलाकशुदा पत्नी ने उसके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत यह शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसके तथा रिष्तेदारों के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोपों लगाते हुए अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की थी, जिसके उसके मानसिक तकलीफ हो। इसके अलावा समाज में उसकी बदनामी करना और लंबित अपराधिक प्रकरण वापस लेने के दवाब बनाना है। तलाकशुदा पत्नी की शिकायत पर भोपाल जिला न्यायालय के जेएफएमसी ने उसके खिलाफ धारा 500 के तहत अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश जारी किये है, जिसमे सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उसने आपराधिक शिकायत कानूनी अधिकार रखने वाली प्राधिकरण के समक्ष की थी। धारा 499 के सेक्शन 8 के तहत कानूनी अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छी नीयत से आपराधिक शिकायत में आरोप लगाना मानहानि नहीं है। एकलपीठ ने मामला धारा 499 के सेक्शन 8 के तहत आता है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मानहानि का कोई अपराध नहीं बनता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 500 के तहत भोपाल की अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमानुल्ला ने पैरवी की।

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर म.प्र.

निविदा सूचना क्रं./उ.वि./2025-26/2148/PRO-825 दिनांक:- 05/02/2026

निविदा निरस्तीकरण सूचना

नगर निगम जबलपुर के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा दिनांक 21/01/2026 को PRO-778 से समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा क्र. (1) 2026_UAD_477165_1 (2) 2026_UAD_477165_2 (3) 2026_UAD_477165_3 (4) 2026_UAD_477165_4 तकनीकी कारणों से निरस्त की जाती है।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम जबलपुर

न्यायालयीन प्रकरणों के प्रति गंभीरता बरतें : राघवेन्द्र

▶ कलेक्टर ने अधिकारियों को दी हिदायत, न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों का लिया विभागवार ब्यौरा

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से शासन का पक्ष मजबूती के साथ रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। श्री सिंह गुरूवार को आयोजित बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा लिया। न्यायालयीन प्रकरणों के प्रति अधिकारियों को गंभीरता बरतने की हिदायत दी तथा तय समय सीमा के भीतर जवाबदावा प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री सिंह ने अवमानना के प्रकरणों में विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुये इनमें न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का तत्परता से पालन किया जाये तथा समय पर कम्पलायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

मोबा. नं. 9589962882

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जबलपुर

सेठ गोविन्द दास (विक्टोरिया) जिला चिकित्सालय जबलपुर

क्र./चिकि./2026 1892 - 94 Email- csurgeonjabmp@mp.nic.in दिनांक:- 05/02/2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला चिकित्साललय जबलपुर हेतु निम्नलिखित ई-निविदां आमत्रित की जाती है। निविदा की पूर्ण जानकारी Madhya Pradesh Government E-Tender System की बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है।

1. साईकिल स्टेन्ड द्वितीय ई-निविदा
2. गेटपास तृतीय ई-निविदा
3. वस्त्रो की धुलाई तृतीय ई-निविदा

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.)

N.I.T./PWD/08 /PR0 No. 824 Date. 05/02/2026

द्वितीय निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

क्रं.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_479714_1 Date:-05/02/2026	संभाग क्रं 08 भानतलैया अंतर्गत सर्वपल्ली डॉ राधाकृष्णन वार्ड क्रं 58 में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य। (अन्य मद)	04 माह 33.89 लाख	5000/- 25418/-	16/02/2026
2.	2026_UAD_479714_2 Date:-05/02/2026	संभाग क्रं 08 भानतलैया अंतर्गत सर्वपल्ली डॉ राधाकृष्णन वार्ड में विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य। (अन्य मद)	04 माह 33.89 लाख	5000/- 25423/-	16/02/2026

नोट :- निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, प्रथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय यत्री / कार्यपालन यंत्री
(लोककर्म)
नगर निगम, जबलपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

रा.प्र.क्र...... / अ-6/ 2025-26
जबलपुर, दिनांक 19/01/26
// आम इश्तहार //

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक हीरा लाल पिता रमनलाल, निवासी-2014, समता कॉलोनी, शांति नगर, राजीव गांधी वार्ड जबलपुर के द्वारा मौजा कठौंदा, नं.ब. 502, प.ह.नं. 79, रा.नि.मं. जबलपुर-1, तहसील अधारताल, जिला जबलपुर में स्थित खसरा नं. 312 का भाग रकवा 2.15 हे. भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 465, दिनांक 16/04/1990 के माध्यम से विक्रेता सदानंद पिता रमनलाल जैन, निवासी गोटेगांव तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर से क्रय किया गया। वर्तमान राजस्व अभिलेख में मौजा कठौंदा, पटवारी हल्का कठौंदा, तहसील अधारताल, जिला जबलपुर में स्थित खसरा नं. 312, रकवा 2.1500 हे. भूमि पर विक्रेता के वारसान संजय कुमार जैन पिता स्व. सदानंद जैन, पता मेन रोड, गोटेगांव नरसिंहपुर का नाम दर्ज है। तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 9/02/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक 19/01/2026
पेशी दिनांक 09/02/2026

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
अधारताल, जबलपुर

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार ने श्रीमति सुषमा पटेल पति श्री उमाशंकर पटेल निवासी- 43 बघौड़ा रोड पनागर, नल के पास, बघौड़ा जबलपुर वालों से मौजा बघौड़ा नं.बं. 43 प.ह.नं. 19/ 67 रा.नि.मं. महाराजपुर नया बघौड़ा तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि ख.नं. 63/1 रकवा 0.160 हेक्टे. ख.नं. 63/2 रकवा 0.280 हेक्टे. इस प्रकार दोनों का कुल रकवा 0.440 हेक्टेयर जमीन, को क्रय करने का सौदा किया है। मेरे पक्षकार द्वारा संपत्ति स्वामी से विक्रय पत्र का पंजीयन शीघ्र ही निष्पादित कराया जाना है। अतः उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक या वित्तीय संस्था, शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, उत्तराधिकारी वारसान को कोई उजर दावा आपत्ति हो तो मय मूल दस्तावेज सहित सूचना प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के अंदर मेरे कार्यालयीन समय में मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, सात दिवस बाद की गई किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी और मेरे पक्षकार द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन करा लिया जावेगा। जबलपुर दि. 06.02.2026

भवदीय- **राजेन्द्र सिंह परिहार एड.**
कार्यालय पता- सरस्वती कालोनी,
चेरीताल वार्ड, जबलपुर-9833837367

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग, जिला डिण्डौरी, (म.प्र.)

एनआईटी नं.-03/2026/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/जी/मु.अ.(भ)/... जबलपुर, दिनांक 29/01/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है:-

सं. क्रं.	पोर्टल टेंडर क्रं.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएससी) (रु. लाख में)	अमानात राशि (ईएमडी) (रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_PWPIU_479348_1	वि.खं. डिण्डौरी जिला डिण्डौरी में 08 नग आंगनबाड़ी भवनों का शेष निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)	डिंडोरी	89.65	89650.00	10000.00	04 माह वर्षाऋतु सहित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाईट https://mpeproc.gov.in पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑन-लाईन पोर्टल वर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑन-लाईन दिनांक 31/01/2026 समय 09.00 बजे से दिनांक 14/02/2026 समय 18.00 बजे तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जनकारी वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन वेबसाईट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग डिण्डौरी (म.प्र.)

G-25370/25

पॉक्सो है सुरक्षा का हथियार, बच्चों पर न करें अत्याचार

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला नरसिंहपुर म.प्र.

प्रारंभिक अधिसूचना

क्र. 3930/अ.वि.अ./भू-अर्जन / 2026 (देखिये धारा 11) गोटेगाँव, दिनांक:- 29/01/2026

रा.मा.क्र. 07/अ-82/2025-26 मौजा ग्राम रोहिया, प.ह.नं. 90 तहसील - गोटेगाँव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाडा (म.प्र.) को शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक IA/MP/RIV/515497/2024 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची - 1

1. परियोजना का नाम शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 निर्माण हेतु।
2. भूमि का विवरण:- 1. जिला : नरसिंहपुर, 2. तहसील : गोटेगाँव, 3. ग्राम : रोहिया, 4. प.ह.न. : 90, 5. नं. बंदोबस्त : 518, 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 6.510 हेक्टयर

अनुसूची - 2

क्रं. सं.	खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित रकबा (हे.मे)	रिमार्क
1.	रामजी पुत्र रूपसिंह गौड, संध्या पुत्री रूपसिंह गौड, अंजनीबाई बेवा गणेश गौड, केराबाई पुत्री सुन्दरलाल गौड, विजय पुत्र गणेश गौड, भान्तिबाई पुत्री सुन्दरलाल गौड, रोशनी पुत्री गणेश गौड, गनाराम पिता सुन्दरलाल गौड सुखलाल पुत्र रूपसिंह गौड, फूलमति बेवा रूपसिंह गौड जाति गौड पता रोहिया रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश 487118 भूमि स्वामी	220	2.254	0.400	
2.	गिन्दू लाल पुत्र रतिराम गौड, कौशाबाई पुत्री भीकम गौड, बतेशीबाई ठाकुर पुत्री रतिराम गौड, गुलाब पुत्र भीकम गौड जाति गौड पता रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	244/1	0.292	0.090	
3.	अम्वालाल पुत्र गिरन गौड, सरोज बाई पुत्री गिरन गौड पता लखनादौन नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	244/2	0.291		
4.	राजेश पिता किसना, वलीराम पिता किसना श्यामबाई पुत्री किसना, कलाबाई पुत्री किसना, मुन्नीबाई पुत्री किसना जाति गौड पता गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	245	2.161	0.011	
5.	गिन्दू लाल पुत्र रतिराम गौड, कौशाबाई 5 पुत्री भीकम गौड, बतेशीबाई ठाकुर पुत्री रतिराम गौड, गुलाब पुत्र भीकम गौड जाति गौड पता रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	246/1	0.433	0.410	
6.	अम्बालाल पुत्र गिरन गौड, सरोज बाई पुत्री गिरन गौड पता लखनादौन नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	246/2	0.433		
7.	लखनलाल पुत्र सन्तु सरूप पुत्र सन्तु, हरीशरण पुत्र सन्तु, राजेश पुत्र सन्तु, विरमाबाई बेवा सन्तु जाति गौड पता रोहिया रोहिया गोटेगाँव गौड नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	247	0.628	0.628	
8.	रामदयाल पिता टीकाराम जाति गाँड पता रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	252-253/1	1.132	1.132	
9.		253/2	1.150	1.150	
10.	धनाबाई पति श्रीरामदयाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	254/1	0.729	0.729	
11.	मुनीम पिता कोदूलाल जाति गोंड पता रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	254/2	0.765	0.550	
12.	बुधिया बाई बेवा रघुवीर गौड, रामकुमार ठाकुर पुत्र रघुवीर गौड, गोपाल ठाकुर पुत्र रघुवीर गौड, लक्ष्मण पुत्र रघुवीर गाँड जाति गौड पता रोहिया रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश 487118 भूमि स्वामी	257	1.303	0.560	
13.	घुरकोबाई पुत्री बारेलाल जाति गौड पता रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	258/1	1.299	0.100	
14.	पार्वती गौड बेवा फूलसिंह, सरोजबाई पुत्री फूलसिंह, लक्ष्मीबाई पुत्री फूलसिंह, श्यामा बाई गौड पुत्री फूलसिंह जाति गोंड पता रोहिया मुगंवानी गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	263/1/1	0.652	0.100	
15.	खेतसिंह वल्द कुवरमन जाति गौड पता सा. देह भूमि स्वामी	263/1/2	0.652	0.100	
16.	दशरथ पिता टीकाराम जाति गोंड पता रोहिया गोटेगॉव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	263/1/3	0.652	0.150	
17.	लखन पिता सन्तराम जाति गौड पता रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	263/1/4	0.650	0.380	
18.	सतोदेवी गौड पत्नी महाराजसिंह, बबीता पुत्री महाराजसिंह गौड, विसनलाल गौंड पुत्र भारतसिंह, कलावती पुत्री महाराजसिंह गौंड, ओमप्रकाश सिंह गौंड पिता महाराजसिंह गौंड, देवकी पुत्री महाराजसिंह गौंड पता रोहिया गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	263/1/4	0.650	0.380	
	कुल योग		20.294	6.510	

कुल निजी अर्जित भूमि 6.510 हे.

सरल क्रमांक-09 खसरा नंम्बर 253/2 रकबा 1.150 हेक्टयर अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव के प्रकरण क्रमांक 0490/अ-6-अ/2025-26 एवं लोकसेवा गोटेगांव के प्रकरण क्रमांक RS/452/0737/1867/2025 के अंतर्गत खसरा सुधार का प्रकरण लम्बित है। यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 'भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7) - 2014-सात-शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी (भू-अर्जन शाखा) कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन बाध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाडा (म.प्र.) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने. अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथ उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गोटेगाँव कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

(संघमित्रा गौतम)
सह. भू-अर्जन अधिकारी
जिला गोटेगांव

(रजनी सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

जी.- 25359/25 बच्चों की मुस्कान हैं अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल